कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक(मुख्यालय) झालावाड

क्रमांक–जिशिअ/मु0–मा/झा/संस्था–1/शा.शि.अध्या. /2023/ 1761 दिनांकः 5/9/23

पदस्थापन परामर्श सूचना

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थियों को झालावाड़ जिला आवंटन पश्चात् नियुक्ति/पदस्थापन हेतु काउन्सलिंग सूचना

श्रीमान् निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–मा/संस्था/एफ–ा/12102 (203)/सी.भ./पीटीआई/ 2021–22 दिनांक 02.09.2023 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन पश्चात् झालावाड जिले को आवंटित किये गये समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति/पदस्थापन हेतु जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना में काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन हेतु परामर्श शिविर का आयोजन निम्न कार्यकमानुसार किया जाएगा ।

काउंसलिंग दिनांक	अभ्यर्थी जिनको उपस्थित होना है।	पंजीयन का समय	काउंसलिंग स्थान
08.09.2023(शुक्रवार)	समस्त	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	आडिटारियम हॉल कार्यालय जि0शि0अ0मा0(मुख्यालय)झालावाड
08.09.2023(शुक्रवार)	समस्त	प्रातः 11.00 से 02.00 बजे तक	आडिटारियम हॉल कार्यालय जि0शि0अ0मा0(मुख्यालय)झालावाड
08.09.2023(शुक्रवार)	समस्त	दोपहर 02.00 से 06.00 बजे तक	आडिटारियम हॉल कार्यालय जि0शि0अ0मा0(मुख्यालय)झालावाड

उक्त निर्धारित समय पर पंजीयन नहीं करवाने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिग पंजीकृत अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात् की जाएगी।

वरीयता सूची का निर्धारण निम्न बिन्दुओं पर किया गया है –

क0सं0	वरीयता बिन्दु	वरियता निर्धारण प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज/प्रमाण पत्र
1	40 प्रतिशत से अधिक विकलांग	सक्षम चिकित्सक का प्रमाण पत्र
2	विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी	काउंसलिंग दिनाकं तक पुनर्विवाह नही करने का शपथ पत्र रू50 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर स्टाम्पपेपरकेसाथ 1 विधवा की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 2 परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन
3	एकल महिला(अविवाहित)	आज दिंनांक तक अविवाहित होने का शपथ पत्र (रू 50 के स्टाम्प पेपर पर)
4	भूतपूर्व सैनिक	सक्षम अधिकरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
5	पति–पत्नी प्रकरण	पूर्व से राज्य सेवा /राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपकम में आवंटित जिले में कार्यरत हो तो कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र
6	पति–पत्नी दोनो चयनित	
7	शहीद परिवार आश्रित (अविवाहित पुत्री /वीरांगना)	सम्बंधित शहीद का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्री की स्थिति में अविवाहित होने सम्बंधी शपथ पत्र।(50 रू के स्टाम्प पेपर पर)
8	एसे अभ्यर्थी जिनके माता–पिता,पति/पत्नी असाध्यरोग (ब्रेन ट्युमर,कैंसर,गुर्दा प्रत्यारोपण,ओपन हार्ट सर्जरी) से ग्रसित है।	सक्षम चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
9	महिला अभ्यर्थी	
10	अन्य अभ्यर्थी	

दिनांक 08.09.2023 को काउंसलिंग हेतु समस्त अभ्यर्थी निम्न दस्तावेज (मूल एवं छाया प्रति) अनिवार्य रूप से लेकर शिविर स्थल पर नियत समय पर उपस्थित होवें।–

01 फोटो युक्त मूल पहचान पत्र एवं फोटो प्रति ।

02 स्वयं अभ्यर्थी के 02 पासपोर्ट फोटो (जैसे आवेदन में चस्पा किए हुए है)

03 समस्त शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक दस्तावेज मूल एवं स्व प्रमाणित फाटो प्रति तथा अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये हो अथवा वि विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो इत्यादि से सम्बंन्धित हो मूल एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति।

04 आरक्षण सम्बन्धी दस्तावेज (अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र जो पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए)

05 अभ्यर्थी के नाम/उपनाम /विवाह सम्बंधी शपथ पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ।

06 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक /प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज /प्रमाण पत्र के सम्बंध में 50 रू के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र कि यदि इनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र वैध व मान्य नहीं पाए गये तो उनका चयन निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कानुनी कार्यवाही करने सम्बंधी अधिकार विभाग विभाग के पास सुरक्षित रहेगा ।

07 अन्य समस्त दस्तावेज जो आवेदन के समय आवेदन के साथ संलग्न किए गए हों अथवा विज्ञापन में दर्शायी गई शर्तो इत्यादी से सम्बंघित हो ।

वरियता सूची में स्थान पाने वाले समस्त अभ्यर्थीयों को काउंसलिंग दिनाक को पंजीयन के समय उक्त मुल एवं छाया प्रति दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा उनका प्राथमिक्ता क्रम निरस्त कर वरियता सूची में संशोधन किया जाकर काउंसलिंग कि जाएगी । अनुपस्थित अभ्यर्थीयों को काउंसलिंग उपरान्त शेष रिक्त पदों में से पदस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगें।

नोट– परामर्श शिविर में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी कोविड 19 की परिस्थितियों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन का अनुसरण आवश्यक रूप से करेंगें ।

(हरिशंकर शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड

क्रमांक– जिशिअ/मु0–मा/झा/संस्था–1/शा.शि.अध्या. /2023/1761 दिनांक 5/9/23

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान–बीकानेर ।

2– संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कोटा संभाग कोटा ।

3–मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड।

4 रक्षित पत्रावली ।

जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)
माध्यमिक शिक्षा झालावाड